संख्या-48/2015/1524/22-4-14-48(59)/13

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-20 फरवरी, 2015

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में टाइप-2 के 48 नग आवासों के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35314/नम-2, दिनांक- 9 दिसम्बर, 2013 एवं पत्र संख्या- 24905/नम-2, दिनांक 4 सितम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में टाइप-2 के 48 नग आवासों के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत निर्माण कार्य की रू0 5,16,50,000/- (रूपया पॉच करोड़ सोलह लाख पचास हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 2,50,00,000/-(रूपया दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2015 तक कर लिया जायेगा तथा उसका कब्जा विभाग को दिनांक 30.6.2015 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव की लागत का आकलन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दिनांक 01.8.2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है, जिसके कारण आकलित लागत प्रस्तावित लागत से अधिक परिलक्षित हो रही है। आगणन के संगत उद्वरण संलग्न है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जान रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार तथा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(10) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(11) प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपयोग कर लेने के पश्चात कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त दूसरी किश्त जारी की जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य की संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जांय।

(11) लेबर सेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(12) उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(13) विभाग द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम स्तर लोकल अथारिटी से स्वीकृत करया जाय।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय -01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-190/दस-2015, दिनांक 19 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

<u>संख्या- 48/2015/1524(1)/22-4-14-तददिनांकित-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, वाराणसी।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in